रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270826
CG-DL-E-11032026-270826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

सं. एल–7/1/0एस44(59)–सीईआरसी.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (छठा संशोधन) विनियम, 2026 है;

1.2 ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगेः

परंतु यह कि इन विनियमों के अधीन समेकित फीस और सेवा की अन्य शर्तें उन स्टाफ परामर्शियों और व्यक्तिगत परामर्शियों पर भी लागू होगी जो अपनी निरंतर नियुक्ति की अवधि के लिए इन विनियमों के आरंभ होने से पूर्व पहले से ही लगे हुए या नियुक्त हैं।

2. मूल विनियमों के विनियम 4 का संशोधनः

मूल विनियमों को विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"परामर्शी छह वर्षों तक की कुल अवधि के लिए नियुक्त होंगे। परामर्शी के प्रदर्शन की समीक्षा सेवा का प्रथम वर्ष पूरा होने पर की जाएगी। उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर, नियुक्ति आगे और तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी। इसके पश्चात्, निरंतर संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, नियुक्ति को दो वर्षों तक की अतिरिक्त अधिकतम अवधि से बढ़ाया जा सकता है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 5 का संशोधनः

मूल विनियमों के विनियम 5क में शब्द "परामर्शदाता" से पहले शब्दों "पूर्ण समय के लिए नियुक्त" को जोड़ा जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 का संशोधनः

मूल विनियमों के विनियम 6क के अधीन निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः

(i) मूल विनियमों के विनियम 6क के अंत में शब्दों "न्यूनतम लागत प्रणाली' के आधार पर" के बाद शब्द "या गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन या नियत बजट आधारित चयन (एफबीएस) या एकल स्रोत चयन" जोड़े जाएंगे।

(ii) मूल विनियमों के विनियम 6ग (6) के अधीन निम्नलिखित निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा।

मूल विनियमों के विनियम 6ग (6) के अंत में शब्दों "न्यूनतम लागत प्रणाली' के आधार पर" के बाद शब्द "या गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन या नियत बजट आधारित चयन (एफबीएस) या एकल स्रोत चयन" जोड़े जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 7 का संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 7(1क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

व्यक्तिगत परामर्शी को उनके शैक्षणिक अर्हताओं, वर्ष की संख्या में कुल अनुभव, डोमेन विशेषज्ञता और परिदेय के लिए अपेक्षित ज्ञान के अनुरूप ₹2,00,000/– (वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), यदि लागू हो, को छोड़कर) प्रति मास की अधिकतम समेकित फीस के साथ "सलाहकार" की श्रेणी में या ₹2,50,000/– (वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), यदि लागू हो, को छोड़कर) प्रति मास की समेकित फीस के साथ "वरिष्ठ सलाहकार" की श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा।

मूल विनियमों के विनियम 7(6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(6) सीईसी द्वारा तैयार किए गए पैनल से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत परामर्शी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर, नियुक्ति को तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके पश्चात्, निरंतर संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, नियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों तक की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है जो कि छह वर्षों की कुल अवधि तक सीमित होगी।

फीस पर 10% तक की वार्षिक वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान व्यक्तिगत परामर्शी के प्रदर्शन के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकती है।"

6. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः

मूल विनियम के विनियम 8 (1) के अंत में ''या नियत आधार पर कार्य'' शब्द को जोड़ा गया।

मूल विनियम के विनियम 8 (3) के अंतर्गत ''रुपये दस लाख'' शब्द को ''रुपये बीस लाख'' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।

7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः

मूल विनियम के विनियम 8 (क) के खंड 4 के अंतर्गत सारणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

श्रेणी	मसिक फीस रेंज* (₹ में)	अनुभव (पूर्ण किए गए वर्षों में)	अर्हकताएं
अनुसंधान सहायक (आरए)	50,000/-**	तीन वर्ष से कम	जैसा कि कार्य अपेक्षा के अनुरूप संदर्भ की शर्तों के जारी होने के समय पर निर्णय लिया जाता है।
अनुसंधान अधिकारी (आरए)	75,000/- से 1,10,000/-	तीन वर्ष से सात वर्ष तक	
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ)	1,15,000/- से 1,50,000/-	सात वर्ष से अधिक दस वर्ष तक	
प्रधान अनुसंधान अधिकारी (पीआरओ)	1,30,000/- से 1,80,000/-	दस वर्ष से अधिक और उससे अधिक	

*वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, यदि लागू है। फीस को तत्काल पूर्व रोज़गार में आहरित परिलब्धियों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

** अनुसंधान सहायक (आरए) के मामले में, संतोषजनक प्रदर्शन के एक वर्ष पूरा होने के बाद वेतन रुपये ₹64,000/— निर्धारित किया गया है।

मूल विनियम के विनियम 8 (6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''6. स्टाफ परामर्शी को आरंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। उनके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर, नियुक्ति को तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद सतत संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और छः वर्षों की कुल अवधि तक सीमित किया जा सकता है।

सुपात्र मामलों में, फीस पर 10 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि पूर्व वर्ष के दौरान प्रदर्शन के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से दी जा सकती है।

8. मूल विनियम के नए विनियम 8ग का सन्निविष्ट करना

8ग सेवा की अन्य भार्ते

चिकित्सा लाभ

(1) चिकित्सा बीमा की प्रतिपूर्ति अनुसंधान सहायक (आरए)/अनुसंधान अधिकारी को @₹20,000 प्रति वर्ष; वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और प्रधान अनुसंधान अधिकारी को @₹27,000 प्रति वर्ष और सलाहकार/वरिष्ठ सलाहकार @₹34,000 प्रति वर्ष को ओपीडी/आईपीडी उपचार के लिए व्यवस्था है।

पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति

(2) अनुसंधान सहायक (आरए), अनुसंधान अधिकारी (आरओ), वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ) और प्रधान अनुसंधान अधिकारी (पीआरओ) को ₹1800 प्रति माह की सीमा तक और सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों को रुपये ₹2400 प्रति माह तक पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति।

हरप्रीत सिंह प्रुथी,सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./739/2025-26]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 160 में तारीख 14.10.2008 को प्रकाशित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए —

(क) प्रथम संशोधन विनियम, 2010 जो तारीख 06.09.2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 225 में प्रकाशित किए गए।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2014 जो तारीख 07.10.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 286 में प्रकाशित किए गए।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2017 जो तारीख 10.02.2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 110 में प्रकाशित किए गए।

(घ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2023 जो तारीख 12.05.2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 333 प्रकाशित किए गए।

(ङ) पाँचवा संशोधन विनियम, 2025 जो तारीख 07.01.2025 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 292 प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

No. L-7/1/0S44(59)-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement: -

1.1. These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Sixth Amendment) Regulations, 2026;

1.2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the consolidated fee and other conditions of service under these regulations shall also be applicable to staff consultants and individual consultants who are already engaged or appointed prior to the commencement of these regulations, for the period of their continued engagement.

2. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Consultant shall be engaged for a total period of up to six years**.** The performance of the consultant shall be reviewed upon completion of the first year of service. On finding their performance satisfactory, the engagement shall be extended for a further period of three years. Subsequently, based on continued satisfactory performance, the engagement may be extended by an additional period up to a maximum of two years."

3. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:

The word "engaged for full time" is added after the word "Consultant" in Regulation 5A of the principal Regulations.

4. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations:

The following shall be added under Regulation 6A of the Principal Regulations

(i) Addition of "or Quality cum Cost based selection or Fixed Budget based selection (FBS) or single source selection" at the end of Regulation 6A of the Principal Regulations after the word 'basis of 'least cost system.''

(ii) The following shall be added under Regulation 6C (6) of the Principal Regulations.

Addition of "or Quality cum Cost based selection, or Fixed Budget based selection (FBS) or Single source selection" at the end of Regulation 6C (6) of the Principal Regulations after the words "basis of 'least cost system".

5. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

Regulation 7 (1A) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

An individual consultant shall be engaged in the category of "Adviser" with a maximum consolidated fee of ₹2,00,000/- (excluding Goods and Services tax (GST), if applicable) per month or in the category of "Senior Adviser" with a consolidated fee of ₹2,50,000/- (excluding Goods and Services tax (GST), if applicable) per month, commensurate with their academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables.

Regulation 7 (6) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(6) The candidate approved by the Chairperson from the panel prepared by the CEC shall be engaged as an individual consultant initially for a period of one year. On finding their performance satisfactory, the engagement shall be extended for a further period of three years. Subsequently, based on continued satisfactory performance, the engagement may be extended for an additional period up to a maximum of two years and limited to a total period of six years.

An annual escalation up to 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance of the individual consultant during the preceding year."

6. **Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:**

The word "or work on an assignment basis" is added at the end of Regulation 8(1) of the Principal Regulations.

The word "Rs Ten lakh" under Regulation 8(3) of the Principal Regulations is substituted with the word "₹ Twenty lakh".

7. **Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:**

Table under Clause 4 of Regulation 8A of the Principal Regulation shall be substituted as under:

Category	**Monthly Fee Range* (in ₹)**	**Experience (in completed years)**	**Qualifications**
Research Associate (RA)	50,000/-**	Less than three years	As may be decided at the time of issue of Terms of Reference, commensurate with the work requirement.
Research Officer (RO)	75,000/- to 1,10,000/-	Three years up to Seven years	
Senior Research Officer (SRO)	1,15,000/- to 1,50,000/-	More than Seven years up to Ten years	
Principal Research Officer (PRO)	1,30,000/- to 1,80,000/-	More than Ten years and above	

*Excluding Goods and Services tax (GST), if applicable. The fee shall be fixed taking into consideration the emoluments drawn in the immediate previous employment.

** In case of Research Associate (RA), after completion of one year of satisfactory performance, the salary is fixed at ₹64,000/-.

Regulation 8(6) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"6. The Staff Consultant shall be engaged initially for a period of one year. On finding their performance satisfactory, the engagement shall be extended for a further period of three years. Subsequently, based on continued satisfactory performance, the engagement may be extended for an additional period up to a maximum of two years and limited to a total period of six years.

In deserving cases, an annual escalation up to 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance during the preceding year"

8. Insertion of New Regulation 8C of the Principal Regulations

8C Other Conditions of Service

Medical Benefits:

(1) Reimbursement of Medical insurance is provided for OPD/IPD treatments to Research Associate / Research Officer @ ₹20,000/- per year**;** Senior Research Officer and Principal Research Officer @ 27,000/ per year; and Advisors/Senior Advisors @ 34,000/ per year.

A Reimbursement Towards Books and Periodicals:

(2) Re-imbursement for purchase of books and periodicals up to the ceiling of ₹1800/- per month to Research Associate (RA), Research officer (RO), Senior Research Officer (SRO) and Principal Research officer (PRO), and up to 2,400 per month to Advisors/Senior Advisors.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./739/2025-26]

NOTE: The Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008 were published in Part III, Section 4, No.160 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 14.10.2008 and amended vide-

(a) First Amendment Regulations, 2010 published in Part III, Section 4, No.225 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 06.09.2010.

(b) Second Amendment Regulations, 2014 published in Part III, Section 4, No.286 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.10.2014.

(c) Third Amendment Regulations, 2017 published in Part III, Section 4, No.110 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.02.2017.

(d) Fourth Amendment Regulations,2023 published in Part III, Section 4, No.333 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 12.05.2023.

(e) Fifth Amendment Regulations,2025 published in Part III, Section 4, No.292 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.01.2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.11 14:22:46 +05'30'